

Witness No. 1 For अभियोजन साक्षी Deposition taken
the 20.01.2023 day of शुक्रवार Witness's apparent age..... 32 साल.....
States on affirmation शपथपूर्वक my name is कुसुम कुमार
son of श्री हेमंतराम occupation कृषि
address कृषि ग्राम कौडिया, थाना डभरा, जिला- सक्ती, छत्तीसगढ़
Case No. 598/2022

आज दिनांक 20.01.2023 को समय 01.05 बजे साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री श्याम कुमार गुप्ता ए.डी.पी.ओ.

1. मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त को जानता हूँ क्योंकि वह मेरे गांव का है। घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आज से लगभग तीन माह पूर्व डभरा के थाना चौक के पास मोबाईल शॉप के पास पुलिस वाले आये थे, और मुझसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त हस्ताक्षर मैंने पुलिस वाले के कहने पर किया था। पुलिस वाले के द्वारा मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया गया था।

2. धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.1, जप्ती पत्रक प्र.पी.2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.3 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

नोट- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा अपने गवाह से प्रतिपरीक्षण स्वरूप के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, सुना गया, गवाह के कथन एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई।

3. यह कहना गलत है कि दिनांक 19.09.2022 को ग्राम गोबरा के बड़े नहर पार में आरोपी से एक प्लास्टिक जरीकेन में कच्ची महुआ शराब करीब 3 लीटर भरी कीमती 300 रुपये जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरे गांव का है इसलिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एल.एन. देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

4. यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किये थे केवल मैंने कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किया था।

साक्ष्य समाप्ति समय 01.15 पी.एम.

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया सही
होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(रवि कुमार महोबिया)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

.....

सही/-

(रवि कुमार महोबिया)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)